

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 61/14 वैवाहिक

श्रीमती कोमल माझी पत्नी शिवराज मांझी
पुत्री महाराजसिंह मांझी उम्र 23 वर्ष,
धन्धा गृहकार्य निवासी पशु अस्पताल के
पास वार्ड नं० 2 गोहद जिला भिण्ड
म०प्र०

-----आवेदिका

बनाम

शिवराज मांझी पुत्र रामदयाल मांझी आयु
25 वर्ष निवासी कपडा मार्केट में बैंक के
सामने कैलारस जिला मुरेना म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर गुप्ता अधिवक्ता

अनावेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 13-5-15 को पारित किया गया //

1- आवेदकगण/याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की है ।

2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती कोमल मांझी (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं शिवराज (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह पांच वर्ष पूर्व बैशाख सुदी तीज के दिन हुयी थी । पक्षकार क्रं०1 एवं पक्षकार क्रं०2 का शादी के बाद से ही सामन्जस्य

नहीं रह पाया और व्यवहारिक दृष्टि से तथा दाम्पत्य दृष्टि से एक दूसरे का मेल मिलाप नहीं रह पाया इसलिये अभीतक कोई सन्तान पैदा नहीं हुयी है। आवेदक क्रं01 एवं आवेदक क्रं02 करीब चार वर्ष से पूर्ण रूप से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सके हैं और भविष्य में भी एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक क्रं01 एवं आवेदक क्रं02 के मध्य अब पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद करने पर से सहमति बन चुकी है अनावेदक के द्वारा न्यायालय के बाहर आवेदिका को भरण पोषण की राशि अदा कर दी है अब कोई राशि नहीं लेनी है। उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र दिनांक 09-09-14 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।।

3- प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जो कि मूल रूप से आवेदिका श्रीमती कोमल के द्वारा अनावेदक शिवराज मांझी के विरुद्ध धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनावेदक के द्वारा उसे परित्याग करने और उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार करने के आधार पर पेश किया गया था जो कि उक्त आवेदनपत्र दिनांक 10-11-14 को उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद वाबत् आवेदनपत्र पेश किये जाने पर उसे आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के रूप में परिवर्तित किया गया है।

4- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 10-11-14, 12-1-15, 27-2-15, 21-4-15, 27-4-15 के उपरांत आगामी तिथि नियत की गयी उक्त नियत तिथियों में भी पक्षकारों के आपसी सुलह समझोते के संबंध में संभावना तलाशी गयी किन्तु उनके बीच किसी प्रकार का सुलह होने के आसार नहीं है।

5- इस प्रकार याचिका पेश होने के उपरांत छः माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 श्रीमती कोमल मांझी एवं पक्षकार क्रं02 शिवराज को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

6- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। पक्षकारों के मध्य हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं02 शिवराज की पक्षकार क्रं01 श्रीमती कोमल मांझी विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है। इस संबंध में पक्षकारों के द्वारा शपथपत्र भी पेश किये

गये हैं । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमती, समझौते और उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । पक्षकार करीब चार वर्ष की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उनके मध्य अब कोई लेन देन नहीं है अनावेदक के द्वारा आवेदिका को भरण पोषण की राशि की व्यवस्था न्यायालय के बाहर अदा कर दी है जिसे कि आवेदिका ने स्वीकार किया है ।

7— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :—

1—आवेदिका पक्षकार कं01 श्रीमती कोमली मॉझी तथा शिवराज पक्षकार कं02के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2—उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3—उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञा पारित की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड